// कार्यालय जिला पंचायत, होशंगाबाद //

Ph.No. (07574) 253362, Fax. 251727, E-mail- ceozphos@mp.gov.in

क्रमांक/5580 A/भंडार/जि0पं0/2020 होशंगाबाद, दिनांक 06/08/2020

!! निविदा सूचना !!

कार्यालय जिला पंचायत होशंगाबाद में 03 वाहन अनुबंधित करने हेतु यह सूचना प्रकाशित की जा रही है । निविदा फार्म एवं शर्ते जिला प्रशासन की बेवसाईड www.hoshangabad.nic.in पर देखे जा सकते है। निविदायें दिनांक 13/08/2020 को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में जमा होंगे तथा इसी दिनांक को दोपहर 3.00 बजे खोले जावेंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, होशंगाबाद

D:\Stor Work 2018\Store-2017.doc------------- Anuj &shukla-------------

// शर्तें //

किराये का वाहन कर्मशियल होने चाहिए तथा शासन निर्देशानुसार समस्त टैक्स पेड (टैक्सी परमिट) एवं वाहन टाटा सफारी स्ट्रोम /महेन्द्रा बुलेरो एसी सहित वर्ष 2018 या बाद का मॉडल होना चाहिए।

2. एक पृथक वाहन इनोवा क्रिस्टा GX मॉडल वर्ष 2018 या बाद का होना चाहिए।
3. निविदा के साथ रू. 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) अमानत राशि का डी.डी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, होशंगाबाद पर देय होना चाहिए, संलग्न करें।
4. वाहन की डीजल खपत कम से कम 10 कि.मी. प्रति लीटर होगी इससे कम होने पर क्षतिपूर्ति वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन अनुबंध अवधि (किराये की अवधि) में डीजल वाहन संधारण में होने वाली टूट-फूट, बेटरी, टायर, ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जबावदारी वाहन मालिक की होगी।
6. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थानों पर भी ले जाया जायेगा।
7. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है।
8. वाहन में चारों चके के टायर-ट्यूब व स्टेपनी दुरुस्त एवं सही हालत में होना अनिवार्य है। माईलोमीटर चालू हालत में चाहिए। खराब अथवा बंद होने की स्थिति में वाहन मालिक की जबावदारी होगी।
9. वाहन मालिक को हर समय उसके ड्रायवर को कार्य करने के लिय तैयार रहने का आदेश देना होगा तथा वाहन चालक की चालन क्षमता, अच्छे चाल चलन इत्यादि की जिम्मेदारी फर्म/संस्था की होगी। वाहन चालक अपराधी चरित्र का न हो। वाहन चालक के पास मोबाईल फोन सदैव उपलब्ध रहेगा तथा वाहन चालक की अनुपस्थिति की दशा में दूसरा वाहन चालक वाहन प्रदाता फर्म/संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
10. वाहन मय ड्रायवर के उपलब्ध कराना होगा जिसके पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है, ड्रायवर का वेतन भत्ता व अन्य खर्चे वाहन मालिक को वहन करना होगा।
11. वाहन मालिक के ड्रायवर को वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन कामर्शियल लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा साथ में रखने होंगे वाहन टेक्स पेड एवं वाहन मालिक के स्वामित्व में होना चाहिए किसी भी प्रकार की दुर्धटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे वाहन मालिक को करना होगा। वाहन समस्त कर्मर्शियल टेक्स पेड (टेक्सी परमिट) होना आवश्यक है।
12. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तर दायित्व वाहन मालिक का होगा। यदि कोई क्षति पूर्ति न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।
13. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः अधिकतम 2 घंटे में वाहन सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। 12 घंटे से अधिक वाहन खराब होने की स्थिति में उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा वाहन खराब होने की स्थान से गैरिज तक लाने का दायित्व वाहन मालिक का होगा।
14. वाहन मालिक यदि वाहन का उपयोग करना चाहता है तो उसे 15 दिन पूर्व उपयोगकर्ता अधिकारी को लिखित में आवेदन करना होगा।
15. यदि वाहन स्वयं के उपयोग में लेना है तो वाहन मालिक कार्यालय हेतु अन्य वाहन की व्यवस्था करेगा। वाहन मालिक द्वारा अन्य वाहन व्यवस्था नहीं करने पर वाहन लिया जाता है उस स्थिति में अंतर की राशि को वाहन मालिक को देय राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।
16. वाहन लगातार 3 दिवस तक प्रदाय नहीं किये जाने एवं शर्तो का उल्लघन किये जाने पर उसके द्वारा जमा कराये गयी प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी। यदि वाहन मालिक अनुबंध अवधि के दौरान किन्हीं कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं कराता है तो उसे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी।
17. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व प्रभारी अधिकारी वाहन से प्रतिदिन मीटर रीड़िग के अनुसार की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण लागबुक में कराना होगा। लागबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना होगी।
18. माइलोमीटर की गड़बड़ी या अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक की दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार ही दूरी मान्य की जावेगी।
19. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय के बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा।
20. वाहन मालिक को प्रतिभूति राशि के रूप में रूपये 10000/- निविदा के साथ डी.डी. द्वारा जिला पंचायत, होशंगाबाद के पक्ष में जमा करना होगा। जो अनुबंध समाप्ति पर वापस की जा सकेगी यदि कोई विवाद न हो।

...लय एवं दौरों पर पी.ओ.एल. की सीमा परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रचलित निर्देशानुसार ...हेगी।

22. टोल-टेक्स किराया वाहन मालिक को वहन करना होगा।
23. वाहन निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनाँक से 08 माह के लिए अनुबंधित रहेगी जिसे दोनों पक्षों की सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।
24. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होशंगाबाद को होगा एवं किसी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होशंगाबाद का निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
25. उक्त अनुबंधित वाहन दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढाया जावेगा एवं यदि प्रथम पक्ष चाहे तो 08 माह से पूर्व भी वाहन का अनुबंध समाप्त कर सकता है।
26. निविदाकर्ता का चयन होने के पश्चात वाहन मालिक को वाहन अधिकतम समय सीमा 01 सप्ताह के अंदर तक उपलब्ध कराना होगा। वाहन मालिक द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता का चयन किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत होशंगाबाद

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत होशंगाबाद

विषय :– जिला पंचायत एवं अधिनस्थ विभागों में समय समय पर लगने वाले वाहनों की किराया दर प्रस्तुत करने के संबंध में।

आपके द्वारा चाहे गये अनुसार हमारे द्वारा संलग्न नियमों/शर्तो के अधीन निम्नानुसार दरे प्रस्तुत की जाती है। संलग्न शर्ते हमें मान्य है।

S.No.	Name of Vehicle	Model Year of pur.	Rate per Month without Diesel	Spot Rate (Perday) without Diesel	Average (Per Ltr Per KM)	Remark

निविदा अनुसार 10,000/– का डिमांड ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से संलग्न प्रेषित है।

दिनांक –

हस्ताक्षर एवं सील निविदाकर्ता